



# TUNI TEXTILE MILLS LTD.

**WORKS** : B-5, MIDC INDUSTRIAL AREA, MURBAD, DIST. THANE - 421 401. ❖ TEL. : (02524) 222453  
**REGD. OFF.** : GALA No. 207, BUILDING No. 3-A, 2ND FLOOR, MITTAL INDUSTRIAL ESTATE,  
ANDHERI KURLA ROAD, ANDHERI (E), MUMBAI - 400 059.  
TEL. : 022 4604 3970 ❖ EMAIL : info@tunitextiles.com ❖ WEBSITE : www.tunitextiles.com  
CIN No. L17120MH1987PLC043996

---

December 15, 2025

To,  
The Manager (Listing Department)  
BSE Limited, 1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring,  
P.J. Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001.

BSE Scrip Code: 531411

**Sub: Intimation Extension of closure period of Rights issue advertisement in the Newspapers**

Dear Sir,

With reference to the above captioned subject; please find enclosed copies of newspaper advertisement in respect of extension of closing date of rights issue from Monday, 15<sup>th</sup> December, 2025 to Tuesday, 23<sup>rd</sup> December 2025, published on Sunday, December 14, 2025 in the following newspapers;

1. Financial Express (English) National Daily - All Editions
2. Jansatta (Hindi) National Daily – All Editions
3. Lakshadweep (Marathi) – Maharashtra Edition

The above advertisement is also available on the website of the Company i.e. www.tunitextiles.com.

We request you to take the aforesaid on records.

Thanking You

Yours Faithfully,

**For, TUNI TEXTILE MILLS LIMITED**

SHRI  
NARENDRAKUMAR  
SUREKA

Digitally signed by SHRI  
NARENDRAKUMAR SUREKA  
Date: 2025.12.15 12:26:10  
+05'30'

---

**NARENDRA KR. SUREKA**


**DIN: 01963265**

**MANAGING DIRECTOR**









8वीं मंजिल, प्लेट-बी, ब्लॉक-2, एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, किटवर्ग नगर (पूर्व), नई दिल्ली-110023 दूरभाष: 011-69297100; वेबसाइट: www.idbibank.in

**वित्तीय आसितयों का प्रतिनिधित्वकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सफेफी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत सूचना**


एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता, जिन्होंने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड से होम लोन के रूप में ऋण सुविधाएं प्राप्त की थीं, वे आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को ऋण सुविधा की ईएमआर और/या क्रेडिट सुविधाओं का ब्याज चुकाने में विफल रहे हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आईडीबीआई बैंक के बही खातों में उनके ऋण खातों को उपचार के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है।

आईडीबीआई बैंक द्वारा सफरेफी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत उधारकर्ताओं के संबंधित पते पर "स्पीड पोस्ट" द्वारा आवश्यक नोटिस जारी/तामील किए गए थे, हालांकि, उनकी हिलीवरी की पुष्टि नहीं हो सकी, जो डाक टिप्पणी "छेड़ गए" के साथ वापस आ गए। उपर्युक्त के मद्देनजर, यह सार्वजनिक सूचना सफरेफी नियमों के नियम 3 (1) के पर्युक्त के अनुपालन में जारी की जाती है। कृपया ध्यान दें कि आप आईडीबीआई बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति को (अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा) स्थानांतरित या अन्यथा नहीं करेंगे, ऐसा न करने पर आप सफरेफी अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उत्तरदायी होंगे। हम आपका ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित करने में हैं। इन परिस्थितियों में, उधारकर्ताओं से एक बार फिर अनुरोध किया जाता है कि वे इस लिथि से साठ दिनों के भीतर उपर्युक्त राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर आईडीबीआई बैंक, एक प्रतिभूत लेनदार के रूप में, सफरेफी अधिनियम के प्रावधानों के तहत और साथ ही अपने बकाया की वसूली के लिए आईडीबीआई बैंक के पास उपलब्ध किसी भी अन्य कानून के तहत अपने प्रतिभूति हित को लागू करने के लिए अधिकृत होगा।

क्रम सं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम और पता	प्रतिभूतियों का विवरण	ऋण खाता सं. / माँग सूचना की तिथि / राशि
1	किरण मिश्रा ("उधारकर्ता") फ्लैट नं-101 टॉवर-4 ओमेक्स एनआरआई सिटी ग्रुप ग्रेटर नोएडा यूपी 201301	#202, 2री मंजिल, किंरदन टाउन टॉवर, ओमेक्स एनआरआई सिटी, ओमेगा II. ग्रेटर नोएडा यूपी 201301	एम्पल्ल खाता सं.: 1670675100005517, 1670675100005470
	किरण मिश्रा ("उधारकर्ता") 307 मेहकुंट चैबर नं० 89 नेहरू प्लेस नई दिल्ली 110019		माँग सूचना की तिथि: 29.10.2025
	किरण मिश्रा ("उधारकर्ता") 202, 2री मंजिल, किंरदन टाउन टॉवर, ओमेक्स एनआरआई सिटी, ओमेगा कक्ष ग्रेटर नोएडा यूपी 201301		आवास ऋण (1670675100005470): 08.09.2025 तक रु. 73,31,261/-
	देवाशीष मिश्रा ("सह-उधारकर्ता"), फ्लैट नं-101 टॉवर-4 ओमेक्स एनआरआई सिटी ग्रुप ग्रेटर नोएडा यूपी 201301		आवास ऋण (1670675100005517): 08.09.2025 तक रु. 2,22,269/-

दिनांक: 12.12.2025, स्थान: नई दिल्ली

हस्ता./., अधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लि.



इंडिया शेल्टर फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजी. कार्यालय :- प्लॉट-15, छत्र ताल, सेक्टर-44, इंदौरदुर्गमल पुरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002

आवर कर्मालि के लिए कक्षा सुचना

शाखा कार्यालय : अहमद

जबकि, अघोहस्ताक्षरी, वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आसितयों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और (प्रतिभूति) हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना इसमें आगे वर्णित खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कर्जदार और सम्पत्ति के स्वामी/प्रतिभू से बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। जबकि सम्पत्ति स्वामी की ओर अन्य उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्वारा अधोवर्णित कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अघोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों का कब्जा उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। अब, कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इन सम्पत्ति/यों के संबंध में संयवहार इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज, लागत इत्यादि के प्रमाराधीन होगा।

क्र.सं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के नाम और लेन संख्या	मांग सूचना की तिथि और राशि	संपत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि और प्रकार
1	दुर्गा देवी, जयकिरण, राघु सिंह (बताते संख्या LP0000000108563 में सह-आवेक) उल्की नगरपाल (बताते संख्या रचक00000108563 में सह-आवेक) MLMPO00000174189 LP0000000108563	01-सितंबर-25 र 692081 11-अगस्त-25 को 485720 रुपये	50.16 वर्ग मीटर शेकरल वाले भूखंड की संपत्ति, जो खसरा क्रमांक 120, मीठा-नगरा काली, तेलीबेली, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश, 282009 में स्थित है। 15 मीटर चौड़ा रास्ता निवास, दक्षिण दिशा – रात गोराल का भूखंड, पूर्व दिशा – गुड्डी डीला का भूखंड, पश्चिम दिशा – देवा रात का भूखंड।	प्रातीकालक कब्जा लिया गया 10-दिसंबर-25 को

क्र.सं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के नाम और लेन संख्या	मांग सूचना की तिथि और राशि	संपत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि और प्रकार
2	भूरा सिंह, अंबु, LP0000000186332	23-जुलाई-25 र 692081 09-जुलाई-25 तक	आवासीय कक्षा क्रमांक 86.98 वर्ग मीटर, मीठा सेही बंगर, तहसील घाटा, जिला मुगुर, उत्तर प्रदेश में स्थित। 12 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम दिशा में 12 फीट चौड़ा रास्ता।	प्रातीकालक कब्जा लिया गया 09-दिसंबर-25 को

क्र.सं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के नाम और लेन संख्या	मांग सूचना की तिथि और राशि	संपत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि और प्रकार
3	मोहम्मद साहजाद, नसराना, अलफारुज, इरादाम LP00000000179506 LP0000000026154	17-सितंबर-25 221017 रुपये और 269622 रुपये दिनांक 09-सितंबर-25 तक	आवासीय कक्षा, शेकरल 754.66 वर्ग फुट (अर्थात 70.13 वर्ग मीटर) मोहल्ला पनवार, बाई संख्या 12, तहसील सिक्कोवावा, जिला किरातगढ़ावा, उत्तरप्रदेश-283135 में स्थित है। उत्तर दिशा – लगभग 12 फुट चौड़ा रास्ता, दक्षिण दिशा – नूरजली का प्लॉट, दक्षिण दिशा – लगभग 9.5 फुट चौड़ा रास्ता, पश्चिम दिशा में – नूरजली का प्लॉट	प्रातीकालक कब्जा लिया गया 10-दिसंबर-25 को

क्र.सं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के नाम और लेन संख्या	मांग सूचना की तिथि और राशि	संपत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि और प्रकार
4	अर्जुन सिंह, रीना देवी, HL00000000129450	13 अगस्त 2025 888778 रुपये दिनांक 11 अगस्त 2025 तक	37.48 वर्ग मीटर शेकरल वाली संपत्ति, जो यहीं स्थित है, विस्तार संख्या 203, मीठा-सलाई मोघुमा मोहल्ला-सरजीवन नगर, तहसील और जिला किरातगढ़ावा। उत्तर दिशा में गीटर रास्ता का प्लॉट, दक्षिण दिशा में अरली प्रथम पथ, पूर्व दिशा में 8 फीट और पश्चिम दिशा में 10 फीट।	प्रातीकालक कब्जा लिया गया 10-दिसंबर-25 को

क्र.सं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के नाम और लेन संख्या	मांग सूचना की तिथि और राशि	संपत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि और प्रकार
5	राम देवी, महेश चंद्र, प्रशांत, -नरेश कुमार MLP000000132591	23-जुलाई-25 र 625720 09-जुलाई-25 तक	खसरा नंबर 2 पार पथ, कबो मीठा कबुल उत्तर, तहसील और जिला किरातगढ़ावा उत्तर प्रदेश, 283203 उत्तर – आगरी वाली अनुपम बाबू, दक्षिण-अरली प्रथम पथ, पूर्व – 15 फीट चौड़ी गली, पश्चिम-दीवार की वाली रास्ता	प्रातीकालक कब्जा लिया गया 10-दिसंबर-25 को

तारीख: 14.12.2025

स्थान: आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated November 11, 2025 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

क्र.सं.	सम्पत्ति का वर्णन	सुरक्षित मूल्य	ईएमपी
(0)	आवासीय प्रीहोल्ड प्रॉपर्टी नंबर डब्ल्यूडै-1 1621, तृतीय तल, (उक्त के अधिकार के साथ), प्लॉट नंबर 66, मुस्तालिन 27, किला नंबर 12/2/2, रानी बाग, शहूरू बस्ती, अब आबादी मुस्ताली मोहल्ला के नाम से जानी जाती है, दिल्ली-110007 में स्थित है।	रु. 33.00 लाख	रु. 3.30 लाख
5. ईएमपी का भुगतान मांगी अधिकारी, डीआरटी-1, दिल्ली – खाता टीआरसी नंबर 3223/2022 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से करना होगा तथा पहचान (नोट और कार्ड/ब्राइसिंग वाशरूम/पैनोले), जिसमें मादी पत्राचार के लिए पता दिया गया हो, की स्व सत्यापित प्रति तथा पेन कार्ड की स्व सत्यापित प्रति के साथ वसूली अधिकारी, डीआरटी-1, दिल्ली के पास अधिकतम 09-01-2026 को अप. 5.00 बजे से पहले पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद प्राप्त होने वाली ईएमपी सूचिका नहीं की जाएगी। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कोई स्थानादेश नहीं होने की स्थिति में उक्त सम्पत्ति ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी तथा बोलीदार वेबसाइट <a href="https://www.bankcauctions.com">https://www.bankcauctions.com</a> के माध्यम से 22-01-2026 को मध्य, 12.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक और अप. 01.00 बजे के बाद 5 मिनट की अवधि के अंतर्गत, यदि अपेक्षित है, के साथ "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग" द्वारा सम्पन्न होगा।			
6. ई-नीलामी हेतु प्रस्तावित सम्पत्ति का वर्णन निम्नानुसार है <span> </span> :			
9. ईएमपी का भुगतान मांगी अधिकारी, डीआरटी-1, दिल्ली – खाता टीआरसी नंबर 3223/2022 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से करना होगा तथा पहचान (नोट और कार्ड/ब्राइसिंग वाशरूम/पैनोले), जिसमें मादी पत्राचार के लिए पता दिया गया हो, की स्व सत्यापित प्रति तथा पेन कार्ड की स्व सत्यापित प्रति के साथ वसूली अधिकारी, डीआरटी-1, दिल्ली के पास अधिकतम 09-01-2026 को अप. 5.00 बजे से पहले पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद प्राप्त होने वाली ईएमपी सूचिका नहीं की जाएगी। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कोई स्थानादेश नहीं होने की स्थिति में उक्त सम्पत्ति ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी तथा बोलीदार वेबसाइट <a href="https://www.bankcauctions.com">https://www.bankcauctions.com</a> के माध्यम से 22-01-2026 को मध्य, 12.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक और अप. 01.00 बजे के बाद 5 मिनट की अवधि के अंतर्गत, यदि अपेक्षित है, के साथ "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग" द्वारा सम्पन्न होगा।			
6. ईएमपी के लिफाफे पर "टीआरसी नंबर 3223/2022" प्रेषक के विवरण जैसेकि पता, ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर इत्यादि सहित शीर्षांकित किया जाना चाहिए।			
7. इच्छुक बोलीदाताओं को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए बैंच तालिका आईडी तथा पारसर्वाई, ई-मेल पता और पेन नम्बर का धारक होना अनिवार्य है। लॉन्गड्राफ्ट आई तथा पारसर्वाई के संबंध में विस्तृत विवरण के लिए मांगी सम्पत्ति के ईएमपी नं. 3223/2022 की "इंडिया प्रा. लि. प्लॉट नंबर68, तृतीय तल, सेक्टर-44, गुरुग्राम-122003, हरियाणा, भारत, हेल्पलाइन नंबर 0124-4300202/01 22/23, 7291981124/25/26, पिपलरोड कुमार, मोबाइल नंबर 9808044664 वेबसाइट <span> </span> : <a href="http://www.bankcauctions.com">http://www.bankcauctions.com</a> तथा ई-मेल आईडी <span> </span> : <a href="mailto:supportban@dharamipco@gmail.com">supportban@dharamipco@gmail.com</a> ।			
8. पैनथिप्लीसी बोलीदाताओं को पॉलेट पर अपन पंजीकरण करवाना होगा तथा मेरर्स सी-1 इंडिया प्रा. लि. से पूरक आईडी/पारसर्वाई, पर्याप्त अग्रिम में प्राप्त करना होगा, जो उपरोक्त ई-नीलामी में बोलीदार के लिए अनिवार्य है।			
9. संबंधित बैंक अधिकारियों का विस्तृत विवरण/हेल्पलाइन नंबर इत्यादि निम्नानुसार है <span> </span> :--			
नई एवं पदवार अनर्जित सिंह	9872816511		

- सम्पत्तियों के संबंध में प्रमाणपत्र देनदारों के अधिकारों की बिकी की जानी प्रस्तावित है। सम्पत्तियों की बिकी देयाताओं, यदि कोई, सहित की जाएगी। उद्घोषणा में दलित सम्पत्तियों का विस्तार वसूली प्रमाणपत्र अनुसूची के अनुसार है। वसूली अधिकारी किसी भी कारणवश विस्तार में वैधन्य के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। सम्पत्तियों की बिकी "जैसी है जहां है" तथा "जैसी है जो है" शर्त पर बेची जाएगी।
- मार्फत बोली बोलीदाताओं द्वारा सम्पत्ति का निरीक्षण बिकी की तिथि से पहले किया जा सकता है, जिसके लिए उपरोक्त नामक बैंक अधिकारी से संपर्क करें।
- अघोहस्ताक्षरी के पास कोई भी या सभी बोलियां स्वीकार या अस्वीकार करने, यदि अनुपपुष्ट प्राप्त जाती हैं, अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय बिकी प्रस्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
- असफल बोलीदाताओं की ईएमपी सूचिकाओं द्वारा रजिस्ट्री, डीआरटी-1 से पहचान प्रमाण जैसे कि पेन कार्ड, पारसर्वाई, नोटर आईडी, बैंच ब्राइसिंग वाशरूम अथवा सरकार और पीएसएच द्वारा जारी फोटो पहचान कार्ड प्रस्तुत कर प्राप्त की जाएगी। असफल बोलीदाताओं को अपनी ईएमपी की बाकी सुविधाएं करनी होगी और प्रतिभूत समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो तत्काल वसूली अधिकारी, डीआरटी-1, दिल्ली/आगरा बैंक से सम्पर्क करें।
- उपरोक्त नामक सीडीजी की नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिकी की जाएगी तथा उक्त सम्पत्ति से जुड़े दावे और देवतारें, जहां तक अभिनिरिचत की जा सकी हैं, प्रत्येक लॉट के सामने तालिका में विनिर्दिष्ट की जाएगी। यदि सम्पत्ति के एक अंश की बिकी से वसूली राशि पूरी हो जाती है, तब शेष सम्पत्ति की बिकी तत्काल रोक दी जाएगी। बिकी तब भी रोक दी जाएगी यदि, किसी लॉट की बिकी से पहले, उक्त प्रमाणपत्र में वर्णित बकाया राशि, लागतों (बिकी की लागत सहित) सहित, किसी सांख्यिक कर रहे अधिकारी को सौंप दी जाती है अथवा उसकी संतुष्टि हेतु प्रमाण दिया जाता है कि ऐसे प्रमाणपत्र की राशि ब्याज तथा लागतों सहित अघोहस्ताक्षरी को अदा की जा चुकी है।
- इस बिकी के संबंध में दृष्टदी कर रहा कोई अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति, बिकी की जा रही सम्पत्ति में, कोई हित अर्जित करने या अर्जित करने का प्रयास करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई बोली नहीं लगाएगा।
- यह बिकी अधिकार अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तों और उनके तहत बनाए गए नियमों तथा उसके अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के तहत की जाएगी। संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट विवरण अघोहस्ताक्षरी की सर्वेच्छ जानकारी के अनुसार सही किए गए हैं, परंतु अघोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, अ-व्यवह अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
- बोलीदाता अपनी बोली रु. 10,000 (रु. दस हजार मात्र) के गुणगुंजों में बड़ा सकता है। बोली की राशि अथवा बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर लॉट तत्काल दोबारा नीलामी में रखा जाएगा।
- साफल/उच्चतम बोलीदाता को बिकी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा परंतु शर्त यह होगी कि उसके द्वारा लगाई गई बोली की राशि सुरक्षित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। अघोहस्ताक्षरी के पास उच्चतम बोली स्वीकार करने से इनकार करने का विवेकाधिकार होगा, यदि बोली राशि स्वीकार करने हेतु स्पष्ट रूप से अनुपपुष्ट प्राप्त जाती है।
- साफल/उच्चतम बोलीदाता को ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात 24 घंटे के भीतर बिकी मूल्य की 25 प्रतिशत राशि, का डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर, बरिहतर राशि (ईएमपी) समागोचन के बाद, "वसूली अधिकारी, डीआरटी-1", दिल्ली खाता टीआरसी नंबर 3223/2022 के पक्ष में तैयार करना होगा तथा ई-नीलामी समाप्त होने के 3 दिन के भीतर, वसूली अधिकारी के कार्यालय में भेजना/प्रेषण करना होगा, अन्यथा बरिहतर राशि जमा (ईएमपी) जब्त कर दी जाएगी।
- बोलीदाता अथवा बोलीदाता को शेष 75 प्रतिशत राशि, वसूली अधिकारी, डीआरटी-1, दिल्ली खाता टीआरसी नंबर 3223/2022 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से, सम्पत्ति की बिकी की तिथि से 15 दिनों के अथवा पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन सविरय या अवकाश है, तब 15वें दिन के बाद पहले बैंक कार्य दिवस को रु. 1,00,000/- तक बिकी मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर तथा रु. 1,00,00/- से अधिक पर बिकी मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर निवेश शुल्क जमाकरेंगे, डीआरटी-1, दिल्ली के पक्ष में जमा करनी होगी। (यदि 75 प्रतिशत की शेष राशि डाक द्वारा जमा की जाती है तो यह उपरोक्तानुसार वसूली अधिकारी के कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।)
- निर्धारित अवधि में भुगतान में बृक की स्थिति में, बिकी की गई उद्घोषणा जारी किए जाने के बाद, सम्पत्ति की बिकी नए सिर से की जाएगी। बोलीदाता द्वारा पहले जमा की गई राशि, बिकी के व्यय करने के बाद, यदि अघोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, सरकार के पक्ष में जब्त कर दी जाएगी और सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा सम्पत्ति की पुनर्रिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के किसी अंश के संबंध में, बृककर्ता क्रेता के सभी दावे जक्त मान्य होंगे।

बिकी की जा रही सम्पत्ति का वर्णन,	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर निमित्त राखल	सम्पत्ति के संबंध में सेवा प्रदाता का विवरण	सम्पत्ति के बावत सेवा किया गया या नहीं
आवासीय प्रीहोल्ड प्रॉपर्टी नंबर डब्ल्यूडै-1 1621, तृतीय तल, (उक्त के अधिकार के साथ), प्लॉट नंबर 66, मुस्तालिन नंबर 27, किला नंबर 12/2/2, रानी बाग, शहूरू बस्ती, अब आबादी मुस्ताली मोहल्ला के नाम से जानी जाती है, दिल्ली-110007 में स्थित है।	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं
मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ 25-11-2025 को दिया गया।			निवेदन सार्ग वसूली अधिकारी-1, ऋण वसूली न्यायाधिकरण-1, दिल्ली



इंडिया शेल्टर फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजी. कार्यालय :- प्लॉट-15, छत्र ताल, सेक्टर-44, इंदौरदुर्गमल पुरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002

कक्षा सुचना

अवर सप्रमालि के लिए

जबकि, अघोहस्ताक्षरी ने इंडिया शेल्टर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आसितयों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और (प्रतिभूति) हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना इसमें आगे वर्णित खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कर्जदार और सम्पत्ति के स्वामी/प्रतिभू से बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। जबकि सम्पत्ति स्वामी की ओर अन्य उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्वारा अधोवर्णित कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अघोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों का कब्जा उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। अब, कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इन सम्पत्ति/यों के संबंध में संयवहार इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज, लागत इत्यादि के प्रमाराधीन होगा।

क्र.सं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के नाम एवं लेन संख्या	मांग सूचना की तिथि और राशि	संपत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि और प्रकार
1	श्री/श्रीमती सुनील देवेंद्र एवं श्री/श्रीमती शीला राय निवास खाता <span> </span> : मकान नंबर 72, मेघवालो का बास भारगुली, सिंदलान जालौर, राजस्थान-343001	मांग सूचना - 16-11-2021 रु. 3,23,889/- (रुपये तीन लाख) त्रेहस हजार आठ बी नवानी मात्र)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड <span> </span> : सम्पत्ति खसरा नंबर 633, ग्राम एवं जीपी नमाली सिंदलान पीसल जालौर, राजस्थान-343001, चौखटदी - पूर्व <span> </span> : निवेश पुत्र तालाजी का मकान, पश्चिम <span> </span> : रौड, उत्तर <span> </span> : रौड, दक्षिण <span> </span> : लासा रात पुत्र मेगाली का मकान,	10-12-2025

स्थान : राजस्थान, तिथि : 14-12-2025

वास्ते इंडिया शेल्टर फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (प्राधिकृत अधिकारी) किसी पृष्ठछाछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री विनय राणा (+91 79886 05303)



वास्तु हाउसिंग फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

युजिट 203 और 204, दुसरी मंजिल, 'ए' डिंग, नवगावराट एस्टेट, जकार्माई बंदर रोड, सेक्टर 1 (पडिबम), मुंबई 400015, महाराष्ट्र,

सीआरएल नंबर: U65922MH2005PLC272501

क्र.सं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के नाम और लेन संख्या	मांग सूचना की तिथि और राशि	संपत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि और प्रकार
1	दुर्गा देवी, जयकिरण, राघु सिंह (बताते संख्या LP0000000108563 में सह-आवेक) उल्की नगरपाल (बताते संख्या रचक00000108563 में सह-आवेक) MLMPO00000174189 LP0000000108563	01-सितंबर-25 र 6940 रुपये और 11-अगस्त-25 को 485720 रुपये	50.16 वर्ग मीटर शेकरल वाले भूखंड की संपत्ति, जो खसरा क्रमांक 120, मीठा-नगरा काली, तेलीबेली, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश, 282009 में स्थित है। 15 मीटर चौड़ा रास्ता निवास, दक्षिण दिशा – रात गोराल का भूखंड, पूर्व दिशा – गुड्डी डीला का भूखंड, पश्चिम दिशा – देवा रात का भूखंड।	प्रातीकालक कब्जा लिया गया 10-दिसंबर-25 को
2	भूरा सिंह, अंबु, LP0000000186332	23-जुलाई-25 र 692081 09-जुलाई-25 तक	आवासीय कक्षा क्रमांक 86.98 वर्ग मीटर, मीठा सेही बंगर, तहसील घाटा, जिला मुगुर, उत्तर प्रदेश में स्थित। 12 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम दिशा में 12 फीट चौड़ा रास्ता।	प्रातीकालक कब्जा लिया गया 09-दिसंबर-25 को
3	मोहम्मद साहजाद, नसराना, अलफारुज, इरादाम LP00000000179506 LP0000000026154	17-सितंबर-25 221017 रुपये और 269622 रुपये दिनांक 09-सितंबर-25 तक	आवासीय कक्षा, शेकरल 754.66 वर्ग फुट (अर्थात 70.13 वर्ग मीटर) मोहल्ला पनवार, बाई संख्या 12, तहसील सिक्कोवावा, जिला किरातगढ़ावा, उत्तरप्रदेश-283135 में स्थित है। उत्तर दिशा – लगभग 12 फुट चौड़ा रास्ता, दक्षिण दिशा – नूरजली का प्लॉट, दक्षिण दिशा – लगभग 9.5 फुट चौड़ा रास्ता, पश्चिम दिशा में – नूरजली का प्लॉट	प्रातीकालक कब्जा लिया गया 10-दिसंबर-25 को
4	अर्जुन सिंह, रीना देवी, HL00000000129450	13 अगस्त 2025 888778 रुपये दिनांक 11 अगस्त 2025 तक	37.48 वर्ग मीटर शेकरल वाली संपत्ति, जो यहीं स्थित है, विस्तार संख्या 203, मीठा-सलाई मोघुमा मोहल्ला-सरजीवन नगर, तहसील और जिला किरातगढ़ावा। उत्तर दिशा में गीटर रास्ता का प्लॉट, दक्षिण दिशा में अरली प्रथम पथ, पूर्व दिशा में 8 फीट और पश्चिम दिशा में 10 फीट।	प्रातीकालक कब्जा लिया गया 10-दिसंबर-25 को
5	राम देवी, महेश चंद्र, प्रशांत, -नरेश कुमार MLP000000132591	23-जुलाई-25 र 625720 09-जुलाई-25 तक	खसरा नंबर 2 पार पथ, कबो मीठा कबुल उत्तर, तहसील और जिला किरातगढ़ावा उत्तर प्रदेश, 283203 उत्तर – आगरी वाली अनुपम बाबू, दक्षिण-अरली प्रथम पथ, पूर्व – 15 फीट चौड़ी गली, पश्चिम-दीवार की वाली रास्ता	प्रातीकालक कब्जा लिया गया 10-दिसंबर-25 को

तारीख: 14.12.2025

स्थान: आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated November 11, 2025 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").



Registered Office: Unit No. 3A, Mittal Industrial Estate, Andheri Kuria Road, Andheri (E), Marol Naka, Mumbai, Mumbai, Maharashtra, India, 400059; Telephone No.: +91 022 46043970

Contact Person: Ms. Jyoti Kothari; Company Secretary and Compliance Officer

E-mail: [info@tunitextiles.com](mailto:info@tunitextiles.com); Website: [www.tunitextiles.com](http://www.tunitextiles.com), CIN: 171210MH1987PLC043996

Our Company was originally incorporated as "Tuni Textile Mills Private Limited" ("The Company or Issuer") on July 06, 1987, as a private limited company under the Companies Act, 1956 in the State of Maharashtra. Subsequently, the Company was converted into a Public Limited company under the name "Tuni Textile Mills Limited" and was issued a fresh certificate of incorporation by the Registrar of Companies ("ROC"), Mumbai, Maharashtra, on August 6, 1992. For further details regarding our Company, please refer to the section titled "General Information" beginning on page 4 of this Letter of Offer.



PROMOTERS OF OUR COMPANY: NARENDRA KUMAR SUREKA AND PRADEEP KUMAR SUREKA

THE ISSUE

ISSUE OF UP TO 42,324,440 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1.00/- EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHT EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹1.00/- (RUPEE ONE ONLY) PER EQUITY SHARE AGGREGATING UPTO ₹ 4232.44 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 81 (EIGHTY ONE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 25 (TWENTY FIVE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS NOVEMBER 15, 2025 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 1







केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा

# पांच वर्षों में बस्तर संभाग सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्र बनेगा

रायपुर, 13 दिसंबर (भाषा)।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतंत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने छत्तीसगढ़ के सात जिलों वाले बस्तर संभाग को अगले पांच वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्र बनाने का संकल्प लिया है।

शाह ने कहा कि नक्सलवाद से किसी को फायदा नहीं होता- न तो हथियार उठाने वालों को और न ही सुरक्षाकर्मियों को, और केवल शांति ही विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। उन्होंने एक बार फिर इस बात पर बल दिया कि 31 मार्च, 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। शाह ने राज्य के बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम में बस्तर ओलंपिक-2025 खेल आयोजन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए माओवादियों से अनुरोध किया कि वे हथियार डाल दें और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 31 मार्च, 2026 से पहले पूरे देश से 'लाल आतंक' को खत्म करने का फैसला किया है, यह लक्ष्य अब प्राप्ति के करीब है। शाह ने कहा, मैं बस्तर आया हूं तब



मुझसे ज्यादा आनंद किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता है। हमने तय किया था कि 31 मार्च 2026 के पहले पूरे देश से लाल आतंक को खत्म कर देंगे। बस्तर ओलंपिक 2025 में हम इसके कगार पर खड़े हैं। उन्होंने कहा, मैं 2024 में भी आया था, 2025 में भी आया हूं और 2026 में भी आऊंगा, यह मेरा वादा है। परंतु, जब मैं 2026 में बस्तर ओलंपिक के लिए पहुंचूंगा, तब तक छत्तीसगढ़ और पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया हो चुका होगा।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बस्तर संभाग के सात जिलों - कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा - को दिसंबर 2030 तक देश के सबसे विकसित आदिवासी जिलों के रूप में विकसित किया जाएगा। बस्तर

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, बस्तर का हर गांव सड़क से जुड़ेगा, वहां बिजली होगी, पांच किलोमीटर के क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं होंगी तथा सबसे घने प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बनाने का काम भी हमारी सरकार करेगी।

के हर व्यक्ति को रहने के लिए घर, बिजली, शौचालय, नल से पीने का पानी, गैस सिलिंडर, पांच किलो अनाज और पांच लाख तक का मुफ्त इलाज, बस्तर के घर-घर में पहुंचाने का संकल्प हमारी सरकार का संकल्प है। हमने अगले पांच साल में बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का संकल्प लिया है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, बस्तर का हर गांव सड़क से जुड़ेगा, वहां बिजली होगी, पांच किलोमीटर के क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं होंगी तथा सबसे घने प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नेटवर्क बनाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। छत्तीसगढ़ में वन उपज की प्रोसेसिंग के लिए कोआपरेटिव आधार पर यूनिट्स लगाए जाएंगे।



लौड़

पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शनिवार को आयोजित आल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025-26 में प्रतिभागियों ने भाग लिया।

## ‘जम्मू-कश्मीर प्रशासन आतंकी हमलों के पीड़ितों को सशक्त बना रहा’

श्रीनगर, 13 दिसंबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को इस बात पर दुख जताया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने आतंकवाद के पीड़ितों के दर्द को नजरअंदाज किया और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अब ऐसे लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रहा है। उपराज्यपाल ने श्रीनगर स्थित लोक भवन में कश्मीर घाटी में आतंकी हमलों के 39 पीड़ितों के परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद ये टिप्पणियां कीं।

सिन्हा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, आज कश्मीर संभाग में आतंकवाद के पीड़ितों के परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इन परिवारों के लिए न्याय का लंबा इंतजार आज खत्म हुआ। पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाकर हमने उनकी गरिमा बहाल की और व्यवस्था में उनका विश्वास जगाया।

उन्होंने कहा कि आतंकवाद ने न केवल जानें लीं, बल्कि परिवारों को भी तबाह कर दिया और निदोष लोगों को दशकों की चुप्पी, कलंक और



उपराज्यपाल ने कहा कि पीड़ितों से, प्रशासन इन पीड़ितों के मामलों को वह प्राथमिकता न देकर उन्हें निराश करती रहा है, जिसके वे हकदार थे। हम पीड़ितों की आवाज को सशक्त बना रहे हैं।

गरीबी में धकेल दिया।सिन्हा ने कहा, आतंकवादियों द्वारा की गई हर क्रूर हत्या के पीछे एक ऐसे परिवार की कहानी छिपी है, जो कभी उबर नहीं पाया, उन बच्चों की कहानी छिपी है, जो अभिभावक के बिना बड़े हुए। लंबे समय तक, प्रशासन ने इन परिवारों के दर्द और पीड़ा को नजरअंदाज किया। उन्होंने आरोप लगाया, आतंकवाद के असली पीड़ितों और सच्चे शहीदों को आतंकी तंत्र के तत्वों द्वारा सताया गया।

एक ओर, आतंकवादियों के सहयोगियों को सरकारी नौकरियों में नियुक्त किया गया, वहीं दूसरी ओर, आतंकवाद के पीड़ितों के परिजनों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया।

## राजस्थान : वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी में 200 करोड़ रुपए की कर चोरी का पता चला

जयपुर, 13 दिसंबर (भाषा)।

राजस्थान के वाणिज्य कर विभाग राज्य भर में एक साथ 110 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सर्वेक्षण कार्रवाई करते हुए लगभग 200 करोड़ रुपए की कर चोरी का खुलासा किया है। अधिकारियों के अनुसार विभाग के 300 से अधिक अधिकारियों की अलग-अलग टीमों ने विभिन्न जिलों में एक साथ यह कार्रवाई की।

इसके अनुसार विभाग को लंबे समय से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि राज्य में प्लाईवुड, सेनेटरी आइटम, टाइल्स, खाद्य तेल, होटल, रियल एस्टेट सहित कई क्षेत्रों में कुछ व्यापारी कर चोरी में संलिप्त हैं। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर यह व्यापक अभियान चलाया गया। आधिकारिक बयान के अनुसार इस अभियान के दौरान कई स्थानों से कच्ची पत्थियां, फर्जी बिलिंग एवं अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। कई व्यापारियों ने कर चोरी की बात स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से लगभग 10 करोड़ की राशि विभाग में जमा करवाई है।

## आतंकी संगठनों के 200 से अधिक मददगार हिरासत में

श्रीनगर, 13 दिसंबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शनिवार को घाटी में चलाए गए एक व्यापक अभियान के तहत आतंकी संगठनों के लगभग 200 संदिग्ध मददगारों को हिरासत में लिया। अधिकारियों ने यहां यह जानकारी दी। पुलिस ने अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर श्रीनगर शहर सहित कश्मीर घाटी के कई इलाकों में आतंकियों के मददगारों के खिलाफ अभियान चलाया और कई स्थानों पर छापेमारी की।

अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान आतंकियों के लगभग 200 संदिग्ध मददगारों को हिरासत में लिया गया।

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, ये मददगार आतंकवादियों को नकदी, आश्रय और अन्य

## यूट्यूबर सवुक्कू शंकर चेन्नई से गिरफ्तार

चेन्नई, 13 दिसंबर (भाषा)।

चेन्नई में यूट्यूबर 'सवुक्कू' शंकर को एक फिल्म निर्माता द्वारा दर्ज कराए गए कथित मारपीट और जबरन वसूली के मामलों में शनिवार को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने दावा किया कि शनिवार सुबह जब जांच अधिकारियों ने शंकर के घर का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने दरवाजा खोलने से

इनकार कर दिया और यह कहते रहे कि पुलिस को अंदर आने से पहले उनके वकीलों से बात करनी चाहिए।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में दो पुलिस अधिकारियों को यह कहते सुना जा सकता है कि यदि वकील उचित तरीके से जानकारी मांगें तो वे गिरफ्तारी का विवरण देने और वारंट दिखाने के लिए तैयार हैं। वीडियो में उन्होंने कहा कि पुलिस को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोका नहीं जाना चाहिए।

भुनियादी ढांचा जैसी सहायता प्रदान करते थे। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई घाटी भर

## भुवनेश्वर में छात्र मृत मिला, परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन

भुवनेश्वर/क्योंझर, 13 दिसंबर (भाषा)।

भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंस (केआइएसएस) का एक आदिवासी छात्र रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया। कक्षा नौवी के छात्र (14) के परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी 'हत्या' की गई थी और उन्होंने शनिवार को छात्र के गृहनगर क्योंझर में कलेक्टर कार्यालय के सामने शव को रखकर विरोध प्रदर्शन किया तथा घटना की उचित जांच की मांग की। छात्र क्योंझर टाउन थाना क्षेत्र के टिकारगुमुरा गांव निवासी था। उसके पिता ने गड़बड़ी की आशंका जताते हुए क्योंझर टाउन थाने में शिकायत दर्ज कराई।

छात्र के पिता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा, केआइएसएस प्राधिकारियों ने मुझे शुक्रवार को फोन किया और बताया कि मेरा बेटा अस्वस्थ है। उन्होंने मुझे तुरंत भुवनेश्वर आने के लिए कहा। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो एक चिकित्सक ने मुझे बताया कि मेरे बेटे की मौत हो चुकी है। शिकायत में कहा गया, उन्होंने शव को एंजुलेंस में गांव भेज दिया। मुझे अपने बेटे के शरीर पर कुछ चोट के निशान मिले। मुझे

छात्र के पिता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा, केआइएसएस प्राधिकारियों ने मुझे शुक्रवार को फोन किया और बताया कि मेरा बेटा अस्वस्थ है। उन्होंने मुझे तुरंत भुवनेश्वर आने के लिए कहा। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो एक चिकित्सक ने मुझे बताया कि मेरे बेटे की मौत हो चुकी है।

कोई मेडिकल रपट नहीं दी गई और मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे की मौत कैसे हुई, किस बीमारी से हुई। क्योंझर थाने के प्रभारी निरीक्षक श्रीकांत साहू ने कहा कि 'जिरो एफआइआर' दर्ज कर ली गई है और इसे भुवनेश्वर के इन्फोसिटी थाने को भेज दिया गया है। यह घटना इन्फोसिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटी।

साहू ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन वापस ले लिया। इस बीच, प्रदर्शन में शामिल मृतक की एक रिश्तेदार ने आरोप लगाया कि छात्र की हत्या की गई है और इसे छुपाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा, हम न्याय की मांग करते हैं और आदिवासी होने के कारण आप हमें गुमराह नहीं कर सकते।

## रेलवे ने बढ़ाई टैंक कंटेनर की क्षमता

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

रेलवे ने माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाने के लिए टैंक कंटेनर में नवाचार किया है। मौजूदा टैंक कंटेनर की ऊंचाई बढ़ा कर क्षमता को 26 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 31 मीट्रिक टन तक पहुंचा दिया।

रेलवे अधिकारी ने बताया कि भारतीय रेलवे और भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कानकर) ने 20 फीट टैंक कंटेनरों की रचना में नवाचार कर उनकी सामान ढोने की क्षमता को 26 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 31 मीट्रिक टन करने की पहल की है। नवाचार के



बाद तैयार हुए कंटेनर का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है।

अब ज्यादा क्षमता वाले कंटेनर का उत्पादन किया जा रहा है। शनिवार को रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में इन कंटेनर को लेकर समीक्षा बैठक की। इस मौक़े पर रेल मंत्री ने कहा कि आकर्षित करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देने, नीतियों में सुधार लाने और लचीला मूल्य निर्धारण करने को कहा। इस दौरान रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी बैठक में मौजूद रहे। मंत्री ने बैठक में अधिकारियों को माल ढुलाई के लिए रेलवे में इस तरह के और नवाचार करने का भी निर्देश दिया है।

## ‘सशक्त समाज के निर्माण के लिए एकजुटता आवश्यक’

श्री विजयपुरम, 13 दिसंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को हिंदू समाज से स्वामी विवेकानंद के उस संदेश से प्रेरणा लेने की अपील की कि हर राष्ट्र का एक दायित्व होता है जिसे उसे निभाना होता है और एक नियति होती है, जिसे उसे प्राप्त करना होता है।

यहां नेताजी स्टेडियम में विराट हिंदू सम्मेलन समिति द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि वर्तमान समय में वैश्विक मान्यता को आकार देने में केवल सत्य से कहीं अधिक शक्ति का योगदान है। उन्होंने कहा, विश्व सत्य की नहीं, शक्ति को देखता है, जिसके पास शक्ति है, उसको मानता है...भले मन से नहीं, पर मानता जरूर है। भागवत ने कहा कि एक

सशक्त समाज के निर्माण और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकजुटता आवश्यक है। उन्होंने कहा, यदि हिंदू जागृत हों, तो विश्व जागृत होगा। विश्व को विश्वास है कि भारत ही मार्ग प्रशस्त करेगा। समस्याओं पर समय बर्बाद करने के बजाय, हमें समाधान खोजने चाहिए। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और शक्ति केवल एकता से ही प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण और वन में रहने वाले एक राक्षस के बारे में महाभारत की एक कथा सुनाते हुए, भागवत ने कहा कि टकराव हमेशा समाधान नहीं होता है।

उन्होंने कहा, अर्जुन और सात्यकी ने राक्षस से लड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार के साथ वह और बड़ा होता गया। कृष्ण ने हस्तक्षेप किया, टकराव से बचते हुए और सूझबूझ से बिना लड़ाई के ही उसे वश में कर लिया।

इससे यह सीख मिलती है कि हर समस्या के लिए बल प्रयोग जरूरी नहीं समाधान स्थिति को समझने पर निर्भर करता है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि एक मजबूत और स्वस्थ समाज के निर्माण के प्रयास घर से ही शुरू होने चाहिए।

उन्होंने कहा, अपने इलाके में दोस्त बनाएं, परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं और नियमित रूप से पारिवारिक समारोह आयोजित करें। विशेष अवसरों पर पारंपरिक पोशाक पहनने और परिवार के साथ मिलकर भोजन करने पर गर्व महसूस करें। अपनी संस्कृति से प्यार करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, अब यह तय करने का समय आ गया है कि हम अपने घरों में स्वामी विवेकानंद का चित्र रखना चाहते हैं या माइकल जैक्सन की तस्वीर। देशभक्ति एक नागरिक कर्तव्य है।

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalised terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated November 11, 2025 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

**TUNI TUNI TEXTILE MILLS LIMITED**  
Registered Office: Unit No. 207, 2nd Floor, Building No. 3A, Mittal Industrial Estate, Andheri Kuria Road, Andheri (E), Marol Naka, Mumbai, Maharashtra, India, 400059; Telephone No.: +91 022 46043970  
Contact Person: Ms. Jyoti Kothari; Company Secretary and Compliance Officer  
E-mail: info@tunitextiles.com ; Website: www.tunitextiles.com, CIN: L17120MH1987PLC043996

Our Company was originally incorporated as "Tuni Textile Mills Private Limited" ("The Company or Issuer") on July 06, 1987, as a private limited company under the Companies Act, 1956 in the State of Maharashtra. Subsequently, the Company was converted into a Public Limited Company under the name "Tuni Textile Mills Limited" and was issued a fresh certificate of incorporation by the Registrar of Companies ("ROC"), Mumbai, Maharashtra, on August 6, 1992. For further details regarding our Company, please refer to the section titled "General Information" beginning on page 4 of this Letter of Offer.

**PROMOTERS OF OUR COMPANY: NARENDRA KUMAR SUREKA AND PRADEEP KUMAR SUREKA**

**THE ISSUE**  
FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF TUNI TEXTILE MILLS LIMITED ("THE COMPANY")  
ISSUE OF UP TO 42,32,44,440 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1,00/- EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHT EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 01.00/- (RUPEE ONE ONLY) PER EQUITY SHARE AGGREGATING UPTO ₹ 4232.44 LAKHS# ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 81 (EIGHTY ONE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 25 (TWENTY FIVE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS NOVEMBER 15, 2025 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 108 OF THIS LETTER OF OFFER.  
#Assuming full subscription in the Issue. Subject to finalization of Basis of Allotment.

**ATTENTION INVESTORS**  
**NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY**  
CORRIGENDUM CUM ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED 11<sup>th</sup> NOVEMBER, 2025

This notice should be read in conjunction with the Letter of Offer dated 11<sup>th</sup> November, 2025 filed by the Company with the Stock Exchange and SEBI and the LOF and CAF that have been sent to the eligible equity shareholders of the company. The eligible equity shareholders are requested to please note the following:

RIGHTS ISSUE PERIOD EXTENDED	ISSUE CLOSING DATE (OLD)MONDAY, DECEMBER 15, 2025
------------------------------	---------------------------------------------------

ISSUE CLOSING DATE (NEW) TUESDAY, DECEMBER 23, 2025
-----------------------------------------------------

This is to inform you that the board of Directors of the company at its meeting held on Saturday, December 13, 2025, has considered and approved the further extension of the issue closing date of the ongoing rights issue. The date of closure of the Rights Issue, which opened on Monday, 24<sup>th</sup> November, 2025 and was scheduled to close on Monday, 15<sup>th</sup> December, 2025 has now been further extended to Tuesday, 23<sup>rd</sup> December, 2025. The extension has been granted to facilitate better participation from eligible shareholders and to provide them with adequate time to subscribe to the Rights Issue.

Accordingly, the last date of submission of the duly filled in CAF (along with the amount payable on application) is Tuesday, 23<sup>rd</sup> December, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the revised Issue Closure Date as Tuesday, 23<sup>rd</sup> December, 2025.

Accordingly, the revised timeline for the Rights Issue is as follows:

ISSUE OPENING DATE	MONDAY, NOVEMBER 24, 2025
LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATION OF RIGHTS ENTITLEMENTS	WEDNESDAY, DECEMBER 03, 2025
LAST DATE FOR CLOSURE OF OFF MARKET TRANSFER OF RIGHTS ENTITLEMENTS	MONDAY, DECEMBER 22, 2025
ISSUE CLOSING DATE#	TUESDAY, DECEMBER 23, 2025
FINALIZATION OF BASIS OF ALLOTMENT (ON OR ABOUT)	WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2025
DATE OF ALLOTMENT (ON OR ABOUT)	WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2025
DATE OF CREDIT RIGHTS EQUITY SHARES (ON OR ABOUT)	FRIDAY, DECEMBER 26, 2025
DATE OF LISTING (ON OR ABOUT)	MONDAY, DECEMBER 29, 2025

\*Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date.

#No withdrawal of the Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

This Corrigendum cum addendum shall be available on the respective websites of the Stock Exchange at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and the website of the Company at <https://www.tunitextiles.com/>

ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY WHO ARE ENTITLED TO APPLY FOR THE RIGHTS ISSUE ARE REQUESTED TO TAKE NOTE OF THE ISSUE CLOSURE DATE AS TUESDAY, 23<sup>rd</sup> DECEMBER, 2025. ACCORDINGLY, THERE IS NO CHANGE IN THE LOF AND CAF DATED 11TH NOVEMBER, 2025 EXCEPT FOR MODIFICATION IN THE ISSUE CLOSING DATE. CHANGE IN ISSUE CLOSING DATE RESULTANT CHANGE IN INDICATIVE TIME TABLE OF POST ISSUE ACTIVITIES ON ACCOUNT OF EXTENSION OF ISSUE CLOSING DATE.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE LETTER OF OFFER AND APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS ADDENDUM.

All capitalised terms hold reference to the Letter of Offer filed by our Company.

For, **Tuni Textile Mills Limited**  
On behalf of the Board of Directors  
Sd/-  
**Narendra Kumar Sureka**  
Managing Director  
DIN: 01963265

Date : 13<sup>th</sup> December, 2025  
Place: Mumbai

**Disclaimer:** Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer dated November 11, 2025 with the Securities and Exchange Board of India and BSE. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in), website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com). Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 23 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.





8वीं मंजिल, प्लेट-बी, ब्लॉक-2, एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, किटवर्ग नगर (पूर्व), नई दिल्ली-110023 दूरभाष: 011-69297100; वेबसाइट: www.idbibank.in

**वित्तीय आसितयों का प्रतिनिधित्वकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सर्फेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत सूचना**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता, जिन्होंने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड से होम लोन के रूप में ऋण सुविधाएं प्राप्त की थीं, वे आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को ऋण सुविधा की ईएमआर और/या क्रेडिट सुविधाओं का ब्याज चुकाने में विफल रहे हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आईडीबीआई बैंक के बही खातों में उनके ऋण खातों को उपवर्ण के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है।

आईडीबीआई बैंक द्वारा सर्फेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत उधारकर्ताओं के संबंधित पते पर "स्पीड पोस्ट" द्वारा आवश्यक नोटिस जारी/तामील किए गए थे, हालांकि, उनकी हिलीवरी की पुष्टि नहीं हो सकी, जो डाक टिप्पणी "छेड़ गए" के साथ वापस आ गए। उपर्युक्त के मद्देनजर, यह सार्वजनिक सूचना सर्फेसी नियमों के नियम 3 (1) के पर्युक्त के अनुपालन में जारी की जाती है। कृपया ध्यान दें कि आप आईडीबीआई बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति को (अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा) स्थानांतरित या अन्यथा नहीं करेंगे, ऐसा न करने पर आप सर्फेसी अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उत्तरदायी होंगे। हम आपका ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित करने में हैं। इन परिस्थितियों में, उधारकर्ताओं से एक बार फिर अनुरोध किया जाता है कि वे इस लिथि से साठ दिनों के भीतर उपर्युक्त राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर आईडीबीआई बैंक, एक प्रतिभूत लेनदार के रूप में, सर्फेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत और साथ ही अपने बकाया की वसूली के लिए आईडीबीआई बैंक के पास उपलब्ध किसी भी अन्य कानून के तहत अपने प्रतिभूति हित को लागू करने के लिए अधिकृत होगा।

क्रम सं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम और पता	प्रतिभूतियों का विवरण	ऋण खाता सं. / माँग सूचना की तिथि / राशि
1	किरण मिश्रा ("उधारकर्ता") फ्लैट नं-101 टॉवर-4 ओमेक्स एनआरआई सिटी ग्रुप ग्रेटर नोएडा यूपी 201301	#202, 2री मंजिल, किंरदन टाउन टॉवर, ओमेक्स एनआरआई सिटी, ओमेगा II. ग्रेटर नोएडा यूपी 201301	एम्पलू खाता सं.: 1670675100005517, 1670675100005470
	किरण मिश्रा ("उधारकर्ता") 307 मेहकुंट चैबर 89 नेहरू प्लेस नई दिल्ली 110019		माँग सूचना की तिथि: 29.10.2025
	किरण मिश्रा ("उधारकर्ता") 202, 2री मंजिल, किंरदन टाउन टॉवर, ओमेक्स एनआरआई सिटी, ओमेगा कक्ष ग्रेटर नोएडा यूपी 201301		आवास ऋण (1670675100005470): 08.09.2025 तक रु. 73,31,261/-
	देवाशीष मिश्रा ("सह-उधारकर्ता"), फ्लैट नं-101 टॉवर-4 ओमेक्स एनआरआई सिटी ग्रुप ग्रेटर नोएडा यूपी 201301		एम्पलू खाता सं. (1670675100005517): 09.09.2025 तक रु. 2,22,269/-

दिनांक: 12.12.2025, स्थान: नई दिल्ली

हस्ता./., अधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लि.



**इंडिया शेल्टर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**  
 पंजी. कार्यालय :- प्लॉट-15, छत्रा ताल, सेक्टर-44, इंदौरदुर्गमूल परिया, मुख्यम, हरियाणा-122002

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने इंडिया शेल्टर फाइनैंस एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आसितयों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और (प्रतिभूति) हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना इसमें आगे वर्णित खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कर्जदार और सम्पत्ति के स्वामी/प्रतिभू से बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। जबकि सम्पत्ति स्वामी की ओर अन्य उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्वारा अधोवर्णित कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों का कब्जा उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। अब, कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इन सम्पत्ति/यों के संबंध में संयवहार इंडिया शेल्टर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज, लागत इत्यादि के प्रमाराधीन होगा।

क्र. सं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के नाम और लेन संख्या	मांग सूचना की तिथि और राशि	संपत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि और प्रकार
1	दुर्गा देवी, जयकिशन, राघु सिंह (बताते संख्या LP0000000108563 में सह-आवेक) उल्की नगरपाल (बताते संख्या रचक00000108563 में सह-आवेक) MLMPO00000174189 LP0000000108563	01-सितंबर-25 र 692081 11-अगस्त-25 को 485720 रुपये	50.16 वर्ग मीटर शेकरवाल वाले भूखंड की संपत्ति, जो खसरा क्रमांक 120, मीठा-नागा कली, तेलीबेली, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश, 282009 में स्थित है। 15 मीटर चौड़ा रास्ता निवारण, दक्षिण दिशा – रात गोराल का भूखंड, पूर्व दिशा – गुड्डी डीह का भूखंड, पश्चिम दिशा – देवा रात का भूखंड।	प्राचीनकाल कब्जा लिया गया 10-दिसंबर-25 को
2	भूरा सिंह, अंबु, LP0000000186332	23-जुलाई-25 र 692081 09-जुलाई-25 तक	आवासीय कानन क्रमांक 86.98 वर्ग मीटर, मीठा सेही बंगर, तहसील घाटा, जिला मुरगु, उत्तर प्रदेश में स्थित। उत्तर दिशा में रातु, का मकान, दक्षिण दिशा में ग्रेन सिंह का मकान, पूर्व दिशा में 12 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम दिशा में 12 फीट चौड़ा रास्ता।	प्राचीनकाल कब्जा लिया गया 09-दिसंबर-25 को
3	मोहम्मद साहजाद, नसराना, अलफ़रान, इराफ़ान LP0000000179506 LP0000000206154	17-सितंबर-25 220107 रुपये और 269622 रुपये दिनांक 09-सितंबर-25 तक	आवासीय कानन, शेकरवाल 754.66 वर्ग फुट (अर्थात 70.13 वर्ग मीटर) मोहल्ला पनवात, उत्तर प्रदेश-283135 में स्थित है। उत्तर दिशा – लगभग 12 फुट चौड़ा रास्ता, दक्षिण दिशा – नूरजली का प्लॉट, दक्षिण दिशा – लगभग 9.5 फुट चौड़ा रास्ता, पश्चिम दिशा – नूरजली का प्लॉट	प्राचीनकाल कब्जा लिया गया 10-दिसंबर-25 को
4	अर्जुन सिंह, रीना देवी, HL00000000129450	13 अगस्त 2025 888778 रुपये दिनांक 11 अगस्त 2025 तक	37.48 वर्ग मीटर शेकरवाल वाली संपत्ति, जो यहीं स्थित है, विस्तारित संख्या 203, मीठा-सलाई मोडुमा मोहल्ला-सरजीवन नगर, तहसील और जिला किरोनगाल। उत्तर दिशा में गीटर रास्ता का प्लॉट, दक्षिण दिशा में अरली प्रथम पथ, पूर्व दिशा में 8 फीट और पश्चिम दिशा में 10 फीट।	प्राचीनकाल कब्जा लिया गया 10-दिसंबर-25 को
5	राम देवी, महेश चंद्र, प्रशांत, -नरेश कुमार MLMPO00000132591	23-जुलाई-25 र 625720 09-जुलाई-25 तक	खसरा नंबर 2 पर प्लॉट, कबो मीठा कबुल उत्तर, तहसील और जिला किरोनगाल उत्तर प्रदेश, 283203 उत्तर – आगरी वाली भूखंडी अनुराग बाबू, दक्षिण-अरली प्रथम पथ, पूर्व – 15 फीट चौड़ी गली, पश्चिम-दीवार की वाली भूखंडी	प्राचीनकाल कब्जा लिया गया 10-दिसंबर-25 को

स्थान : राजस्थान, तिथि : 14–12–2025

(प्राधिकृत अधिकारी) वास्तु इंडिया शेल्टर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

किरी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री विनय राणा (+91 79886 05303) एवं श्री हरकरण जाट (9850475963)



**वसूली अधिकारी- II का कार्यालय, ऋण वसूली व्या्याधिकरण- II, दिल्ली**  
**चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, ससद मार्ग, नई दिल्ली-110001**

**विक्री उद्घोषणा**

टी.आर.सी. सं. 3223/2022

**पंजाब एंड सिंध बैंक बनाम पूनम सिंह एवं अन्य**

**बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के तहत विक्री की उद्घोषणा**

**(सीडी) पूनम सिंह पत्नी रणधीर सिंह, (सीडी) रणधीर सिंह, (सीडी) राजेश, रानी निवासी : 889, बू तल, रानी बाग, दिल्ली**

- जबकि पीठरीसन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण-1, द्वारा ओए सं. 749/2017 में आह्वित वसूली प्रमाणपत्र सं. 3223/2022 के अनुसार संप्रदान देनदार रु. 20,60,196.80/- की राशि और दाखिल करने की तिथि अर्थात 14-09-2017 से वसूली तक 11.00 प्रतिशत वार्षिक की दर पर मावी ब्याज और लागत का भुगतान वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार लागतों तथा प्रभारों सहित करने के मांगी है।
- और जबकि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाणपत्र के समक्षोपन में नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की विक्री का आदेश दिया है।
- और जबकि रु. 20,60,196.80/- की राशि ओए दाखिल करने की तिथि अर्थात 14-09-2017 से वसूली तक 11.00 प्रतिशत प्रतिशत वार्षिक की दर पर मावी ब्याज और लागत प्रमाणपत्र के अनुसार लागतों तथा प्रभारों सहित बकाया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कोई स्थगनादेश नहीं होने की स्थिति में उक्त सम्पत्ति ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी तथा बोलीदान वेबसाइट <https://www.bankcauctions.com> के माध्यम से 22-01-2026 को मध्य, 12.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक और अप. 01.00 बजे के बाद 5 मिनट की अवधि के अंतर्गत, यदि अपेक्षित है, के साथ "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बidding" द्वारा सम्पन्न होगा।
- ई-नीलामी हेतु प्रस्तावित सम्पत्ति का वर्णन निम्नानुसार है :

क्र. सं.	सम्पत्ति का वर्णन	सुरक्षित मूल्य	ईएमपी
(0)	आवासीय प्रीहोल्ड प्रॉपर्टी नंबर डब्ल्यूडै-1 – 1621, तृतीय तल, (उक्त के अधिकार के साथ), प्लॉट नंबर 66, मुस्तातिल नं. 27, किला नंबर 12/2/2, रानी बाग, शहदूर बस्ती, अब आबादी मुस्तानी मोहल्ला के नाम से जानी जाती है, दिल्ली-110007 में स्थित है।	रु. 33.00 लाख	रु. 3.30 लाख
5.	ईएमपी का भुगतान मांगी अधिकारी, डीआरटी-1, दिल्ली – खाता टी.आर.सी नंबर 3223/2022 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से करना होगा तथा पहचान (नोट और कांड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट), जिसमें मावी पत्राचार के लिए पता दिया गया हो, की रच सच्चावति प्रति तथा पेन कांड की रच सच्चावति प्रति के साथ वसूली अधिकारी, डीआरटी-1, दिल्ली के पास अधिकतम 09-01-2026 को अप. 5.00 बजे से पहले पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद प्राप्त होने वाली ईएमपी स्वीकार नहीं की जाएगी। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कोई स्थगनादेश नहीं होने की स्थिति में उक्त सम्पत्ति ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी तथा बोलीदान वेबसाइट <a href="https://www.bankcauctions.com">https://www.bankcauctions.com</a> के माध्यम से 22-01-2026 को मध्य, 12.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक और अप. 01.00 बजे के बाद 5 मिनट की अवधि के अंतर्गत, यदि अपेक्षित है, के साथ "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग" द्वारा सम्पन्न होगा।		
6.	ई-नीलामी हेतु प्रस्तावित सम्पत्ति का वर्णन निम्नानुसार है <span> </span> :		

क्र. सं. एवं पदवार	ई-मेल एवं फोन नंबर
अर्जित सिंह	9872781511

- सम्पत्तियों के संबंध में प्रमाणपत्र देनदारों के अधिकारों की विक्री की जानी प्रस्तावित है। सम्पत्तियों की विक्री देयातओं, यदि कोई, सहित की जाएगी। उद्घोषणा में दक्षित सम्पत्तियों का विस्तार वसूली प्रमाणपत्र अनुसूची के अनुसार है। वसूली अधिकारी किसी भी कारणवश विस्तार में वैधन्य के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। सम्पत्तियों की विक्री "जैसी है जहां है" तथा "जैसी है जो है" शर्त पर बेची जाएगी।
- मार्फत कर्मी बोलीदाताओं द्वारा सम्पत्ति का निरीक्षण विक्री की तिथि से पहले किया जा सकता है, जिसके लिए उपरोक्त नामक बैंक अधिकारी से सम्पर्क करें।
- अधोहस्ताक्षरी के पास कोई भी या सभी बोलियां स्वीकार या अस्वीकार करने, यदि अनुपपुष्ट प्राप्त जाती हैं, अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय विक्री प्रार्थनागिर करने का अधिकार सुरक्षित है।
- असफल बोलीदाताओं की ईएमपी को हटाने द्वारा रजिस्ट्री, डीआरटी-1 से पहचान प्रमाण जैसे कि पेन कांड, पासपोर्ट, नोटर आईडी, वैध ड्राइविंग लाइसेंस अथवा सरकार और पीएसएच द्वारा जारी फोटो पहचान कांड प्रस्तुत कर प्राप्त की जाएगी। असफल बोलीदाताओं को अपनी ईएमपी की वापसी सुनिश्चित करनी होगी और यदि समुचित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो तत्काल वसूली अधिकारी, डीआरटी-1, दिल्ली/आगरा बैंक से सम्पर्क करें।
- उपरोक्त नामक सीडीज की नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की विक्री की जाएगी तथा उक्त सम्पत्ति से जुड़े दावे और देवदारों, जहां तक अभिनिश्चित की जा सकी है, प्रत्येक लॉट के सामने तालिका में विनिर्दिष्ट की जाएगी। यदि सम्पत्ति के एक अंश की विक्री से वसूली राशि पूरी हो जाती है, तब शेष सम्पत्ति की विक्री तालिका में निर्दिष्ट लॉट्स में की जाएगी। यदि सम्पत्ति के एक अंश की विक्री से वसूली राशि पूरी हो जाती है, तब शेष सम्पत्ति की विक्री तालिका में निर्दिष्ट लॉट की जाएगी। विक्री तब भी रोक दी जाएगी यदि, किसी लॉट की विक्री से पहले, उक्त प्रमाणपत्र में वर्णित बकाया राशि, लागतों (विक्री की लागत सहित) सहित, किसी सांख्यिक कर रहे अधिकारी को सौंप दी जाती है अथवा उसकी संतुष्टि हेतु प्रमाण दिया जाता है कि ऐसे प्रमाणपत्र की राशि ब्याज तथा लागतों सहित अधोहस्ताक्षरी को अदा की जा चुकी है।
- इस विक्री के संबंध में दृढ़दी कर रहा कोई अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति, विक्री की जा रही सम्पत्ति में, कोई हित अर्जित करने या अर्जित करने का प्रयास करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई बोली नहीं लगाएगा।
- यह विक्री कायम अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तों और उनके तहत बनाए गए नियमों तथा उसके अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के तहत की जाएगी। संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वेक्षक जानकारी के अनुसार सही किए गए हैं, परंतु अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, अ-व्यर्थता अथवा त्रुटिपूर्ण के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
- बोलीदाता अपनी बोली रु. 10,000 (रु. दस हजार मात्र) के गुणगुंजों में बड़ा सकता है। बोली की राशि अथवा बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर लॉट तत्काल दोबारा नीलामी में रखा जाएगा।
- सफल/उच्चतम बोलीदाता को किसी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा परंतु शर्त यह होगी कि उसके द्वारा लगाई गई बोली की राशि सुरक्षित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। अधोहस्ताक्षरी के पास उच्चतम बोली स्वीकार करने से इनकार करने का विवेकाधिकार होगा, यदि बोली राशि स्वीकार करने हेतु स्पष्ट रूप से अनुपपुष्ट प्राप्त जाती है।
- सफल/उच्चतम बोलीदाता को ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात 24 घंटे के भीतर विक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि, का डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर, बरिश्तर राशि (ईएमपी) समायोजन के बाद, "वसूली अधिकारी, डीआरटी-1", दिल्ली खाता टी.आर.सी नंबर 3223/2022 के पक्ष में तैयार करना होगा तथा ई-नीलामी समाप्त होने के 3 दिन के भीतर, वसूली अधिकारी के कार्यालय में भेजना/जमा करना होगा, अन्यथा बरिश्तर राशि जमा (ईएमपी) जब्त कर दी जाएगी।
- बोलीदाता/उच्चतम बोलीदाता को शेष 75 प्रतिशत राशि, वसूली अधिकारी, डीआरटी-1, दिल्ली खाता टी.आर.सी नंबर 3223/2022 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से, सम्पत्ति की विक्री की तिथि से 15 दिनों के अथवा पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वें दिन सचिवर या अवकाश है, तब 15वें दिन के बाद पहले बैंक कार्य दिवस को रु. 1,00,00/- तक विक्री मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर तथा रु. 1,00,00/- से अधिक पर विक्री मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर निवेश शुल्क जमाकरेंगे, डीआरटी-1, दिल्ली के पक्ष में जमा करनी होगी। (यदि 75 प्रतिशत की शेष राशि डाक द्वारा जमा की जाती है तो यह उपरोक्तानुसार वसूली अधिकारी के कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।)
- निर्धारित अवधि में भुगतान में बृक की स्थिति में, विक्री की गई उद्घोषणा जारी किए जाने के बाद, सम्पत्ति की विक्री नए सिर से की जाएगी। बोलीदाता द्वारा पहले जमा की गई राशि, विक्री के व्यय कटने के बाद, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, सरकार के पक्ष में जब्त कर दी जाएगी और सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा सम्पत्ति की पुनर्रिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के किसी अंश के संबंध में, बृककर्ता क्रेता के सभी दावे जहां मान्य होंगे।

विक्री की जा रही सम्पत्ति का वर्णन,	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर निहित दाखल	सम्पत्ति के संबंध में देय कर/प्रमाण का विवरण	सम्पत्ति के बावत देय किया गया कर/प्रमाण का विवरण
			झात नहीं
			झात नहीं
			झात नहीं
आवासीय प्रीहोल्ड प्रॉपर्टी नंबर डब्ल्यूडै-1 – 1621, तृतीय तल, (उक्त के अधिकार के साथ), प्लॉट नंबर 66, मुस्तातिल नं. 27, किला नंबर 12/2/2, रानी बाग, शहदूर बस्ती, अब आबादी मुस्तानी मोहल्ला के नाम से जानी जाती है, दिल्ली-110007 में स्थित है।			झात नहीं

मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ 25-11-2025 को दिया गया।

**नितेश शर्मा वसूली अधिकारी- II, ऋण वसूली व्या्याधिकरण-1, दिल्ली**



**इंडिया शेल्टर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**  
 पंजी. कार्यालय :- प्लॉट-15, छत्रा ताल, सेक्टर-44, इंदौरदुर्गमूल परिया, मुख्यम, हरियाणा-122002

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने इंडिया शेल्टर फाइनैंस एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आसितयों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और (प्रतिभूति) हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना इसमें आगे वर्णित खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कर्जदार और सम्पत्ति के स्वामी/प्रतिभू से बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। जबकि सम्पत्ति स्वामी की ओर अन्य उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्वारा अधोवर्णित कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों का कब्जा उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। अब, कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इन सम्पत्ति/यों के संबंध में संयवहार इंडिया शेल्टर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज, लागत इत्यादि के प्रमाराधीन होगा।

क्र. सं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के नाम एवं लेन संंबर	मांग सूचना की तिथि और राशि	संपत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि और प्रकार
1	श्री/श्रीमती सुनील देवेंद्र एवं श्री/श्रीमती शीला राय निवास खाता <span> </span> : मकान नंबर 72, मेघवालो का बास भारली, सिंदलान जालौर, राजस्थान-343001	मांग सूचना - 16-11-2021 रु. 3,23,889/- (रुपये तीन लाख त्रैशह्र हजार आठ बी नवानी मात्र)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड <span> </span> : सम्पत्ति खसरा नंबर 633, ग्राम एवं जीपी मांझली सिंदलान पीसल जालौर, राजस्थान-343001, चौखटदी - पूर्व <span> </span> : निवेश पुत्र तालाजी का मकान, पश्चिम <span> </span> : रौड, उत्तर <span> </span> : रौड, दक्षिण <span> </span> : लासा रात पुत्र मेगाजी का मकान,	10-12-2025

स्थान : राजस्थान, तिथि : 14–12–2025

वास्तु इंडिया शेल्टर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (प्राधिकृत अधिकारी)

किरी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री विनय राणा (+91 79886 05303)



**वास्तु हाउसिंग फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,**  
 यूजिट 203 और 204, दुसरी मंजिल, 'ए' डिंग, नवगावत एस्टेट, जकादिया बंदर रोड, सेक्टर 1 (पडिम्न), मुंबई 400015, महाराष्ट्र,

सीआईएन नंबर: U65922MH2005PLC272501

**कब्जा सूचना**

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, वास्तु हाउसिंग फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13 (12) के साथ नियम 9 के तहत प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को नोटिस की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया। उधारकर्ताओं द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ नियम 9 के तहत मुद्रा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित तिथि को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

ऋजकर्ता और गारंटर को विशेष रूप से और आम जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन वास्तु हाउसिंग फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा द्वारा नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज, लागत आदि के शुल्क के अधीन होगा।

क्र. सं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के नाम और लेन संख्या	मांग सूचना की तिथि और राशि	संपत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि और प्रकार
1	दुर्गा देवी, जयकिशन, राघु सिंह (बताते संख्या LP0000000108563 में सह-आवेक) उल्की नगरपाल (बताते संख्या रचक00000108563 में सह-आवेक) MLMPO00000174189 LP0000000108563	01-सितंबर-25 र 692081 11-अगस्त-25 को 485720 रुपये	50.16 वर्ग मीटर शेकरवाल वाले भूखंड की संपत्ति, जो खसरा क्रमांक 120, मीठा-नागा कली, तेलीबेली, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश, 282009 में स्थित है। 15 मीटर चौड़ा रास्ता निवारण, दक्षिण दिशा – रात गोराल का भूखंड, पूर्व दिशा – गुड्डी डीह का भूखंड, पश्चिम दिशा – देवा रात का भूखंड।	प्राचीनकाल कब्जा लिया गया 10-दिसंबर-25 को
2	भूरा सिंह, अंबु, LP0000000186332	23-जुलाई-25 र 692081 09-जुलाई-25 तक	आवासीय कानन क्रमांक 86.98 वर्ग मीटर, मीठा सेही बंगर, तहसील घाटा, जिला मुरगु, उत्तर प्रदेश में स्थित। उत्तर दिशा में रातु, का मकान, दक्षिण दिशा में ग्रेन सिंह का मकान, पूर्व दिशा में 12 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम दिशा में 12 फीट चौड़ा रास्ता।	प्राचीनकाल कब्जा लिया गया 09-दिसंबर-25 को
3	मोहम्मद साहजाद, नसराना, अलफ़रान, इराफ़ान LP0000000179506 LP0000000206154	17-सितंबर-25 220107 रुपये और 269622 रुपये दिनांक 09-सितंबर-25 तक	आवासीय कानन, शेकरवाल 754.66 वर्ग फुट (अर्थात 70.13 वर्ग मीटर) मोहल्ला पनवात, उत्तर प्रदेश-283135 में स्थित है। उत्तर दिशा – लगभग 12 फुट चौड़ा रास्ता, दक्षिण दिशा – नूरजली का प्लॉट, दक्षिण दिशा – लगभग 9.5 फुट चौड़ा रास्ता, पश्चिम दिशा – नूरजली का प्लॉट	प्राचीनकाल कब्जा लिया गया 10-दिसंबर-25 को
4	अर्जुन सिंह, रीना देवी, HL00000000129450	13 अगस्त 2025 888778 रुपये दिनांक 11 अगस्त 2025 तक	37.48 वर्ग मीटर शेकरवाल वाली संपत्ति, जो यहीं स्थित है, विस्तारित संख्या 203, मीठा-सलाई मोडुमा मोहल्ला-सरजीवन नगर, तहसील और जिला किरोनगाल। उत्तर दिशा में गीटर रास्ता का प्लॉट, दक्षिण दिशा में अरली प्रथम पथ, पूर्व दिशा में 8 फीट और पश्चिम दिशा में 10 फीट।	प्राचीनकाल कब्जा लिया गया 10-दिसंबर-25 को
5	राम देवी, महेश चंद्र, प्रशांत, -नरेश कुमार MLMPO00000132591	23-जुलाई-25 र 625720 09-जुलाई-25 तक	खसरा नंबर 2 पर प्लॉट, कबो मीठा कबुल उत्तर, तहसील और जिला किरोनगाल उत्तर प्रदेश, 283203 उत्तर – आगरी वाली भूखंडी अनुराग बाबू, दक्षिण-अरली प्रथम पथ, पूर्व – 15 फीट चौड़ी गली, पश्चिम-दीवार की वाली भूखंडी	प्राचीनकाल कब्जा लिया गया 10-दिसंबर-25 को

तारीख: 14.12.2025

स्थान: आगरा, मप्ररा, फिरोजाबाद

अधिकृत अधिकारी

वास्तु हाउसिंग फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated November 11, 2025 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").



**Registered Office:** Unit No. 3A, Mittal Industrial Estate, Andheri Kuria Road, Andheri (E), Marol Naka, Mumbai, 2nd Floor, Mumbai, Maharashtra, India, 400059; Telephone No.: +91 922 46043970

**Contact Person:** Ms. Jyoti Kothari; Company







RESOLUTION IN CONGRESS

# US lawmakers call to end tariffs on India

● Say sanctions weaken a critical partnership

PRESS TRUST OF INDIA  
Washington, December 13

THREE INFLUENTIAL US lawmakers have introduced a resolution in Congress aimed at ending the tariffs imposed by President Donald Trump on India, saying the “irresponsible tariff strategy” toward Delhi is a counterproductive approach that “weakens a critical partnership”. Representatives Deborah Ross of North Carolina, Marc Veasey of Texas and Raja Krishnamoorthi of Illinois introduced the resolution in the House of Representatives to terminate Trump’s national emergency authorising tariffs of up to 50% on imports from India, helping to restore Congress’ constitutional authority over trade.

Trump has imposed a 50% tariff on India, the highest in the world, including 25% for Delhi’s purchases of Russian oil. The resolution would terminate the national emergency that Trump invoked to impose sweeping tariffs on Indian goods under the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) and rescind the additional 25% “secondary” duties that took effect on August 27 on top of earlier reciprocal tariffs.

Together, these measures raised duties on many Indian-origin products to 50%, a state-ment issued by Ross said.

Krishnamoorthi said that Trump’s “irresponsible tariff strategy toward India is a counterproductive approach that weakens a critical partnership.” Instead of advancing American interests or security, these duties disrupt supply chains, harm American workers, and



US President Donald Trump

FILE REUTERS

drive up costs for consumers. Ending these United States tariffs will allow the United States to engage with India to advance our shared economic and security needs,” the Indian-American lawmaker said. The resolution follows a bipartisan Senate-passed measure to end Trump’s Brazil tariffs and rein in his abuse of emergency powers to raise duties on imports, the statement said. “North Carolina’s economy is deeply connected to India through trade, investment, and a vibrant Indian American community,” Ross added.

She said that Indian companies have invested over a billion dollars and created thousands of good-paying jobs in our state – especially in the Research Triangle’s life sciences and technology sectors. North Carolina manufacturers export hundreds of millions of dollars in goods to India each year, including pharmaceuticals, chemicals, and advanced machinery. “When Trump destabilises this relationship with illegal tariffs, he puts

North Carolina jobs, innovation, and our long-term competitiveness at risk,” she added.

The statement further said that Ross, Veasey and Krishnamoorthi have been leading voices in Congress opposing Trump’s tariff agenda and calling for a reset of US-India relations. In October, they partnered with Congressman Ro Khanna and 19 Members of Congress in urging President Trump to repair America’s strained relationship with India and reverse his harmful tariff policies. “India is an important cultural, economic, and strategic partner, and these illegal tariffs are a tax on everyday North Texans who are already struggling with affordability at every level,” Veasey said.

Part of Trump’s India tariffs is part of a broader effort by congressional Democrats to reclaim Congress’ constitutional authority over trade and to stop the President from using emergency powers to unilaterally impose his misguided trade policies, the statement added.

# Nvidia to increase H200 chip output: Sources

● Reportedly orders from China exceed current output

REUTERS  
December 13

NVIDIA HAS TOLD Chinese clients it is evaluating adding production capacity for its powerful H200 AI chips after orders exceeded its current output level, according to two sources briefed on the matter.

The move comes after US President Donald Trump said on Tuesday the US government would allow Nvidia to export H200 processors, its second-fastest AI chips, to China and collect a 25% fee on such sales.

Demand for the chip from Chinese companies is so strong that Nvidia is leaning toward adding new capacity, one of the sources said. They declined to be named as the discussions are private. “We are managing our supply chain to ensure that licensed sales of the H200 to authorised customers in China will have no impact on our ability to supply customers in the United States,” an Nvidia spokesperson said in a statement to Reuters after the story was published. Major Chinese companies including Alibaba and ByteDance have already reached out to Nvidia this week about purchasing the H200 and

## CHIP POWER

■ Chinese technology companies seeking large H200 orders from Nvidia now

■ Chinese government yet to approve H200 chip purchases

■ Chinese officials propose bundling H200 purchases with domestic chip requirements, sources say



are keen to place large orders, Reuters reported on Wednesday. However, uncertainties remain, as the Chinese government has yet to greenlight any purchase of the H200. Chinese officials convened emergency meetings on Wednesday to discuss the matter and will decide whether to allow it to be shipped into China, said one of the two sources and a third source.

Very limited quantities of H200 chips are currently in production, Reuters reported on Wednesday, as the US AI chip leader is focused on producing its most advanced Blackwell and upcoming Rubin lines. Supply of H200 chips has been a major concern for Chinese clients and they have reached out to Nvidia

seeking clarity on this, sources said. As part of the briefing provided by Nvidia, the company has also given them guidance on current supply levels, said one of the first two people, without providing a specific number. The H200 went into mass deployment last year and is the fastest AI chip in Nvidia’s previous Hopper generation. The chip is manufactured by TSMC using the Taiwanese firm’s 4nm manufacturing process technology. TSMC declined to comment on capacity allocations for specific customers, pointing instead to recent remarks by Chairman and CEO CC.

Wei on the company’s capacity planning approach amid surging AI demand.

# China is ‘rejecting’ H200s, claims White House official

BLOOMBERG  
December 13

CHINA HAS FIGURED out the US strategy for allowing it to buy Nvidia’s H200 and is rejecting the AI chip in favour of domestically developed semiconductors, White House AI czar David Sacks said, citing news reports. President Donald Trump said on Monday he would allow shipments of Nvidia’s H200 to China, part of an administration effort backed by Sacks to challenge Chinese tech champions like Huawei Technologies by bringing American competition to their home market.

On Friday, Sacks signaled that he was uncertain about whether that approach would work. “They’re rejecting our chips,” Sacks said in an interview on Bloomberg Tech, citing an unspecified news article he had seen that day. “Apparently they don’t want them, and I think the reason for that is they want semiconductor independence.” Sacks’ comments raise questions about whether Nvidia will be able

to recover revenue from China, a data centre market it has removed entirely from its forecasts but that Chief Executive Officer Jensen Huang has put at \$50 billion this year. Bloomberg Intelligence analysts estimate annual H200 revenue in China to be a \$10 billion opportunity — but only if the nation accepts the US firm’s chips.

In a statement from a spokesperson, Nvidia said it continues to work with the administration on H200 licenses for vetted customers. “While we do not yet have results to report, it’s clear that three years of overbroad export controls fuelled America’s foreign competitors and cost US taxpayers billions of dollars,” the company said. Liu Pengyu, a Chinese embassy spokesperson, said that cooperation on technology and the economy is in the common interest of China and the US. “We hope the US will work with China to take concrete actions to maintain the stability and smooth functioning of global supply chains,” he said in a statement.

# H-1B visa fee: 19 US states sue Trump admin

PRESS TRUST OF INDIA  
New York/ Washington,  
December 13

NINETEEN US STATES have sued the Trump administration over its “unlawful” decision to impose a \$100,000 fee on new H-1B visa petitions, warning that the move will worsen labour shortages in key sectors such as health care, education and technology.

New York Attorney General Letitia James, along with 18 other attorneys general, filed the lawsuit in the US District Court for the District of Massachusetts,

challenging what they termed a “massive” increase in H-1B fees without legal authority or due process. The H-1B visa programme allows highly skilled foreign professionals to work temporarily in the US and is widely used by Indian nationals.

The coalition argued that the new fee would make the programme effectively inaccessible for government and non-profit employers that depend on H-1B workers to provide essential services in health care, education, technology, and other fields.

“H-1B visas allow talented



doctors, nurses, teachers, and other workers to serve communities in need across our country. The administration’s illegal attempt to ruin this programme will make it harder for New Yorkers to get health care, disrupt our

children’s education, and hurt our economy. I will keep fighting to stop this chaos and cruelty targeting immigrant communities,” James said in a statement.

In September, US President Donald Trump announced that his administration would levy a one-time \$100,000 fee on all new H-1B applications, which the attorneys general described as a “sudden” and “massive” increase over existing charges. The attorneys general contended that the imposition of the new fee is “unlawful” and the move violates the Administrative Procedure Act

as well as the Immigration and Nationality Act, as it was imposed without congressional approval or the required rule-making process. The coalition said the new fee on H-1B visas will severely restrict states’ ability to hire new workers under the programme to address labour shortages, disrupting access to education, health care, and other critical services.

This shortage of workers would be devastating for rural and underserved communities already facing shrinking workforces, it warned.

# Clampdown in Bangladesh amid unrest

● BANGLADESH CHIEF ADVISER Muhammad Yunus-led interim government ordered a nationwide security clampdown as fresh unrest gripped the country following the shooting of a right-wing cultural group’s youth leader.

Inquilab Mancha leader Sharif Osmann Hadi, also a candidate in the scheduled February 12 general elections, was shot on Friday as he initiated this election campaign at central Dhaka’s Bijoy Nagar area. According to doctors, his condition is very critical. “The government is going to start the second phase of Operation Devil Hunt to help ensure public safety and combat the growing threat of illegal arms,” Home Affairs Adviser Lt Gen (Retd) Jahangir Alam Chowdhury told a press conference. —PTI

# Belarus frees Nobel winner as US lifts sanctions

● BELARUSIAN AUTHORITIES HAVE released Nobel Peace Prize laureate Ales Bialiatski and key opposition figure Maria Kolesnikova from prison, Pavel Sapelka, human rights advocate with the Viasna rights group, confirmed to the AP.

Their release comes as authoritarian President Alexander Lukashenko seeks to improve relations with Washington. The US earlier on Saturday announced lifting sanctions on the country’s potash sector. In exchange for sanctions relief, Lukashenko pardoned 123 prisoners, the Belta state news agency reported. A close ally of Russia, Minsk has faced Western isolation and sanctions for years. Lukashenko has ruled the nation of 9.5 million with an iron fist for more than three decades, and the country has been repeatedly sanctioned by Western countries both for its crackdown on human rights and for allowing Moscow to use its territory in the invasion of Ukraine in 2022. —REUTERS

Radico

SPIRIT OF EXCELLENCE

presents

EXPRESS

AdDA

in conversation with

Vandita Mishra

National Opinion Editor  
The Indian Express

Devendra Pandey

Deputy Associate Editor  
The Indian Express

WHERE NEWSMAKERS DROP IN FOR A CANDID CHAT.

ZAKIR KHAN

Associate Partner

Powered by

Experience Partner

The Indian EXPRESS

JOURNALISM OF COURAGE

M&G M.K. GHARE

KNOWLEDGE REALTY TRUST

THE PAVILION

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated November 11, 2025 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

**TUNI TUNI TEXTILE MILLS LIMITED**

Registered Office: Unit No. 207, 2nd Floor, Building No. 3A, Mittal Industrial Estate, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Marol Naka, Mumbai, Maharashtra, India, 400059; Telephone No.: +91 022 46043970  
Contact Person: Ms. Jyoti Kothari; Company Secretary and Compliance Officer  
E-mail: info@tunitextiles.com ; Website: www.tunitextiles.com ; CIN: L17120MH1987PLC043996

Our Company was originally incorporated as "Tuni Textile Mills Private Limited" ("The Company or Issuer") on July 06, 1987, as a private limited company under the Companies Act, 1956 in the State of Maharashtra. Subsequently, the Company was converted into a Public Limited Company under the name "Tuni Textile Mills Limited" and was issued a fresh certificate of incorporation by the Registrar of Companies ("ROC"), Mumbai, Maharashtra, on August 6, 1992. For further details regarding our Company, please refer to the section titled "General Information" beginning on page 4 of this Letter of Offer.

**PROMOTERS OF OUR COMPANY: NARENDRA KUMAR SUREKA AND PRADEEP KUMAR SUREKA**

**THE ISSUE**

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF TUNI TEXTILE MILLS LIMITED ("THE COMPANY")

ISSUE OF UP TO 42,32,44,440 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1.00/- EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHT EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 01.00/- (RUPEE ONE ONLY) PER EQUITY SHARE AGGREGATING UPTO ₹ 4232.44 LAKHS# ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 81 (EIGHTY ONE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 25 (TWENTY FIVE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS NOVEMBER 15, 2025 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 108 OF THIS LETTER OF OFFER.

#Assuming full subscription in the Issue. Subject to finalization of Basis of Allotment.

**ATTENTION INVESTORS**

**NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY**

CORRIGENDUM CUM ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED 11<sup>TH</sup> NOVEMBER, 2025

This notice should be read in conjunction with the Letter of Offer dated 11<sup>th</sup> November, 2025 filed by the Company with the Stock Exchange and SEBI and the LOF and CAF that have been sent to the eligible equity shareholders of the company. The eligible equity shareholders are requested to please note the following:

RIGHTS ISSUE PERIOD EXTENDED	ISSUE CLOSING DATE (OLD) MONDAY, DECEMBER 15, 2025	ISSUE CLOSING DATE (NEW) TUESDAY, DECEMBER 23, 2025
This is to inform you that the board of Directors of the company at its meeting held on Saturday, December 13, 2025, has considered and approved the further extension of the issue closing date of the ongoing rights issue. The date of closure of the Rights Issue, which opened on Monday, 24 <sup>th</sup> November, 2025 and was scheduled to close on Monday, 15 <sup>th</sup> December, 2025 has now been further extended to Tuesday, 23 <sup>rd</sup> December, 2025. The extension has been granted to facilitate better participation from eligible shareholders and to provide them with adequate time to subscribe to the Rights Issue.		
Accordingly, the last date of submission of the duly filled in CAF (along with the amount payable on application) is Tuesday, 23 <sup>rd</sup> December, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Tuesday, 23 <sup>rd</sup> December, 2025.		
Accordingly, the revised timeline for the Rights Issue is as follows:		
ISSUE OPENING DATE	MONDAY, NOVEMBER 24, 2025	
LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATION OF RIGHTS ENTITLEMENTS	WEDNESDAY, DECEMBER 03, 2025	
LAST DATE FOR CLOSURE OF OFF MARKET TRANSFER OF RIGHTS ENTITLEMENTS	MONDAY, DECEMBER 22, 2025	
ISSUE CLOSING DATE#	TUESDAY, DECEMBER 23, 2025	
FINALIZATION OF BASIS OF ALLOTMENT (ON OR ABOUT)	WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2025	
DATE OF ALLOTMENT (ON OR ABOUT)	WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2025	
DATE OF CREDIT RIGHTS EQUITY SHARES (ON OR ABOUT)	FRIDAY, DECEMBER 26, 2025	
DATE OF LISTING (ON OR ABOUT)	MONDAY, DECEMBER 29, 2025	

\*Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date.

#No withdrawal of the Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

This Corrigendum cum addendum shall be available on the respective websites of the Stock Exchange at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and the website of the Company at [www.tunitextiles.com/](http://www.tunitextiles.com/)

ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY WHO ARE ENTITLED TO APPLY FOR THE RIGHTS ISSUE ARE REQUESTED TO TAKE NOTE OF THE ISSUE CLOSURE DATE AS TUESDAY, 23<sup>RD</sup> DECEMBER, 2025. ACCORDINGLY, THERE IS NO CHANGE IN THE LOF AND CAF DATED 11<sup>TH</sup> NOVEMBER, 2025 EXCEPT FOR MODIFICATION IN THE ISSUE CLOSING DATE. CHANGE IN ISSUE CLOSING DATE RESULTANT CHANGE IN INDICATIVE TIME TABLE OF POST ISSUE ACTIVITIES ON ACCOUNT OF EXTENSION OF ISSUE CLOSING DATE.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE LETTER OF OFFER AND APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS ADDENDUM.

All capitalized terms hold reference to the Letter of Offer filed by our Company.

For, **Tuni Textile Mills Limited**  
On behalf of the Board of Directors  
Sd/-  
**Narendra Kumar Sureka**  
Managing Director  
DIN: 01963265

Date: 13<sup>th</sup> December, 2025  
Place: Mumbai

**Disclaimer:** Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer dated November 11, 2025 with the Securities and Exchange Board of India and BSE. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in), website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com). Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 23 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

epaper.financialexpress.com

Kolkata



























रविवार, दि. १४ डिसेंबर, २०२५

## पुण्यात भाजपाचा

८०/२०

## फॉर्म्युला, प्रवेश

## फक्त जिथे गरज!

पुणे, दि. १३ :

भाजपमधून उमेदवारी मिळवण्यासाठी इच्छुकांची हुंबड उडाली होती.

तब्बल अडीच हजारांहून

अधिक इच्छुकांनी अर्ज

घेऊन ते भरून जमा

करायला सुरुवात

केली आहे. अर्ज

स्वीकृतीसोबतच भाजपने

इच्छुक उमेदवारांचा

प्रभागनिहाय सर्व्हे

प्रक्रिया सुरू केली

आहे. ज्या उमेदवारात

जिकण्याची क्षमता

असेल तसेच स्थानिक

नागरिकांचा प्रतिसाद

कसा आहे? याचा

अभ्यास करून

फिटिटांचे गणित

निश्चित होणार आहे.

विरोधी गटातील अनेक

इच्छुक देखील भाजपचे

उमेदवारी मिळवण्यासाठी

प्रयत्‍नशील आहेत. त्यांनी

देखील अर्ज नेल्याची

माहिती आहे. तर शिंदे

सेनेतील एका माजी

मंत्र्यांच्या मुलाने देखील

अर्ज नेल्याची माहिती

आहे. ८० टक्के पक्षातील

तर २० टक्के बाहेरील

इच्छुकांना संधी देण्याचा

फॉर्म्युला भाजपने

ठरवला असून, येत्या

आठवड्यात पक्षाबाहेरील

इच्छुकांचा प्रवेश होत

असल्याची माहिती आहे.

आगामी पुणे महापालिका

निवडणुकीच्या

पार्श्वभूमीवर भारतीय

जनता पार्टीने

संघटनात्मक पातळीवर

तयारीला वेग दिला

असून, शहराध्यक्ष धीरज

घाटे यांनी प्रभागनिहाय

पदाधिकारी बैठकीची

मालिका सुरू केली

आहे. प्रभाग क्रमांक

एक ते आठव्या बैठका

पार पडल्या. पुढील

चार दिवसात उर्वरित

प्रभागाच्या बैठका

होणार आहेत. या

बैठकीच्या माध्यमातून

प्रभागस्तरावरील राजकीय

व संघटनात्मक तयारीचा

सविस्तर आढावा घेण्यात

येत आहे.

## सासवड

## उपबजारात

## ज्वारीला तब्बल

## ४ हजारांचा

## दर!

पुणे, दि. १३ :

पुरंदर तालुक्यातील

निरा कृषी उत्पन्न बाजार

समितीच्या सासवड (ता.

पुणंद) येथील उपबजारात

धान्याची मोठ्या प्रमाणात

आवक होते. ज्वारीला

प्रतिक्रिंत्तलला सर्वाधिक

४ हजार रुपयांचा दर

मिळाल्याची माहिती

निरा कृषी उत्पन्न बाजार

समितीचे सभापती संदीप

फडतरे यांनी दिली.

सासवड उपबजारात

वाल्हा, राजुरी, वाघापूर,

माळशिरस, गरडो, पर्रिचे,

वी, दिवे यासह संपूर्ण

पुरंदर, बारामती, दौंड,

इंदापूर, भोर अशा विविध

भागातून ज्वारी, बाजरी,

गहू, तांदूळ, हरभरा असे

धान्य विक्रीसाठी येते.

सासवड उपबजारात

ज्वारीला कमाल ४ हजार

रुपये, तर दोन नंबर

प्रतीच्या ज्वारीला किमान

२ हजार ५०० हजार रुपये,

तर सरासरी ३ हजार २५०

हजार रुपये प्रतिक्रिंत्तल

असा दर मिळाला, असे

निरा कृषी उत्पन्न बाजार

समितीचे सचिव मिलिंद

जगताप यांनी सांगितले.

Through this Publication this is for Constructive Notice for respondent M/S ONO LIFESTYLE LIMITED having registered office at F-WING, 137, 1ST FLOOR, ANSA, INDUSTRIAL PREMISES, CO-OPERATIVE SAKI, VIHAR ROAD, SAKINAK, ANDHERI, MUMBAI MAHARASHTRA to appear in person or through authorized representative before the District Level Micro & Small facilitation Council Ludhiana, District Industries Centre, Ludhiana on Dated 17-12-2025 regarding claim reference petition submitted by claimant M/S SHREE GANESH JI FABRICS U/s 18(1) of MSMED Act 2006 bearing reference: MSEFC/DIC/03/23/2558. If respondent still fails or omits to appear as above then arbitration proceedings shall be conducted as per section 23 & 25 of Arbitration and Conciliation Act and award shall also be passed on the basis of evidence before it.
<b>Member Secretary cum General Manager</b> District Industries Centre Industrial Estates, Ludhiana Ph. No:- 0161-2540695 Email Id: dcludlhiana5@gmail.com, Ludhiana.msefc@gmail.com

पुणे, दि. १३ :

भाजपमधून उमेदवारी

मिळवण्यासाठी इच्छुकांची

हुंबड उडाली होती.

तब्बल अडीच हजारांहून

अधिक इच्छुकांनी अर्ज

घेऊन ते भरून जमा

करायला सुरुवात

केली आहे. अर्ज

स्वीकृतीसोबतच भाजपने

इच्छुक उमेदवारांचा

प्रभागनिहाय सर्व्हे

प्रक्रिया सुरू केली

आहे. ज्या उमेदवारात

जिकण्याची क्षमता

असेल तसेच स्थानिक

नागरिकांचा प्रतिसाद

कसा आहे? याचा

अभ्यास करून

फिटिटांचे गणित

निश्चित होणार आहे.

विरोधी गटातील अनेक

इच्छुक देखील भाजपचे

उमेदवारी मिळवण्यासाठी

प्रयत्‍नशील आहेत. त्यांनी

देखील अर्ज नेल्याची

माहिती आहे. तर शिंदे

सेनेतील एका माजी

मंत्र्यांच्या मुलाने देखील

अर्ज नेल्याची माहिती

आहे. ८० टक्के पक्षातील

तर २० टक्के बाहेरील

इच्छुकांना संधी देण्याचा

फॉर्म्युला भाजपने

ठरवला असून, येत्या

आठवड्यात पक्षाबाहेरील

इच्छुकांचा प्रवेश होत

असल्याची माहिती आहे.

आगामी पुणे महापालिका

निवडणुकीच्या

पार्श्वभूमीवर भारतीय

जनता पार्टीने

संघटनात्मक पातळीवर

तयारीला वेग दिला

असून, शहराध्यक्ष धीरज

घाटे यांनी प्रभागनिहाय

पदाधिकारी बैठकीची

मालिका सुरू केली

आहे. प्रभाग क्रमांक

एक ते आठव्या बैठका

पार पडल्या. पुढील

चार दिवसात उर्वरित

प्रभागाच्या बैठका

होणार आहेत. या

बैठकीच्या माध्यमातून

प्रभागस्तरावरील राजकीय

व संघटनात्मक तयारीचा

सविस्तर आढावा घेण्यात

येत आहे.

<div>यादवी सूचना देण्यात येते की आमचे अशील प्रस्तावित विक्री/हस्तांतरणाच्या उद्देशात खालील वर्गीत केलेल्या स्वतः मालमत्तेच्या मालकीची चौकशी आणि पडताळणी करणे आहेत. मालमत्ता दिवशी पैसे रु. २०२, २० मजला, ३ विंग, पुणे हॉटेल्स को-ऑपरेटिव्ह हॉसिंग सोसायटी लिमिटेड, इडागुलवाडी, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई-४०००६४ या मालमत्तेतील अप्रवाहित हिस्सा आणि त्याची मंजूरित युनिट यासाठी सुविधावश, सदर फ्लॅट नुमा, श्री. नंदकिशोर मी. मेहता आणि श्री. बाबूराई सी. इरान यांचे २. युनिट हाऊस कन्स्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स दिनांक ०५.०९.१९९४ रोजी झालेल्या नोंदीपत्रक विक्री करारामुळे मिळालेले विकत घेतला होता. श्री. बाबूराई मी. मेहता यांचा निघनंतर, किनाऱ्या कायदेशीर वारस श्रीमती मोहिनी बाबूराई मेहता यांनी दिनांक २८.०५.२०१६ रोजी अर्ज नोंदीपत्रक बळीस खेरीदल्या केले, ज्यामध्ये त्यांची श्री. बाबूराई मी. मेहता यांचा हिस्सा श्री. नंदकिशोर बाबूराई मेहता यांच्या नावे बळीस संपन्न देण्यात आला, ज्यामुळे ते सदर फ्लॅटमधील १००% हक्क, मालकी हक्क आणि हिताधिकार पूर्ण मालक झाले. त्यानंतर श्री. नंदकिशोर बाबूराई मेहता यांनी नोंदीपत्रक बळीस खेरीदल्याद्वारे दिनांक २८.०५.२०१६ रोजी, सदर फ्लॅटमधील ५०% अविभाजित हिस्सा त्यांच्या पत्नी श्रीमती वंदना नंदकिशोर मेहता यांच्या नावे बळीस म्हणून दिले आहे, ज्या सध्या सदर फ्लॅटच्या सह-मालक आहेत.</div>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

लाई ईस्ट लिमल कन्सल्टंट्सकोला

वकील राहुल यादव

कार्यालय -३२२, अलित राहुल यादव,

लॅंगव्हास रोड/सेक्टर १२, मीड चौकी,

लिंक रोड-११, मुंबई-४०००६४,

मोबा:-९९१९३९३५३७